


फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपस्थित अधिकारी मुकाम खेतड़ी
 रामावतार सिंह बनाम राजस्थान सरकार
 केस नं. मुकदमा 136 LR सच नं. 121 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	<p>04/10/2021 ग्रामी द्वारा प्रस्तुत यह ग्रामना पत्र आज प्रशासन गणों के संग सत्रियान-2021 के तहत ग्राम पंचायत जतरापुर में सम्मोहित केस में पेश हुआ। ग्रामी द्वारा चाहे गये अनुर्गोष के सम्बन्ध में मजमे काम में शहाने की गई। सरपंच ग्राम पंचायत जतरापुर ने ग्रामी का सही नाम रामावतार सिंह पुत्र नत्थूसिंह कोना तस्दीक कर राक्ष विजि में ग्रामी का नाम रामावतार सिंह पुत्र नत्थूसिंह के स्थान पर रामावतार सिंह पुत्र नत्थूसिंह डुरस्त किया जाना सही एवं न्यायसंगत होना जाहिर किया। पत्रावली पर उपस्थित इत्यादी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्रामी का ग्रामना पत्र स्वीकार कर ग्राम जतरापुर स्थित भूमि सभाबन्दी क्रम 2077-79 के खता संख्या 315 में ग्रामी का नाम रामावतार सिंह पुत्र नत्थूसिंह के स्थान पर रामावतार सिंह पुत्र नत्थूसिंह डुरस्त किए जाने का आदेश दिया जाया है। आदेश की पाबुना हेतु नत्थूसिंह खेतड़ी को तहसील जायी है। पत्रावली केस शुमा व दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दर्ता है।</p>	<p>मन्जू सरपंच ग्राम पंचायत, जतरापुर पं.स. - खेतड़ी, (सुन्दरगढ़) राज</p> 

उपस्थित अधिकारी. खेतड़ी